

स्वामी,

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी
वन्य प्राणी संस्थान, चन्द्रखनी
देहरादून-248001 उत्तराखण्ड

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना व
पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र:-

1:- यह कि प्रार्थी श्री बीरेन्द्र कुमार दिनांक 30-4-2018 को वन्य प्राणी संस्थान देहरादून से स्वीकृत हुये थे। प्रार्थी को नियम/रूल 2019 जो 1-4-2006 से अपनाये गये है के अनुसार शरियर लाभ दिया जाना था।

प्रार्थी के समक्ष सभी कर्मकारों को उक्त नियम के अन्तर्गत शरियर लाभ दिया चुका है परन्तु प्रार्थी को उक्त लाभ किन कारणों से प्रदान नहीं किया गया है उसका पूर्ण विवरण सहित सूचना दे।

2:- यह कि प्रार्थी के समक्ष जिन कर्मकारों को नियम 2019 के अन्तर्गत जो 1-4-2006 से मान्य है जो शरियर लाभ दिया गया है उनका पूर्ण विवरण नाम सहित व कितनी धनराशि शरियर के रूप में प्रदान की गयी है सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना दे।

3:- यह कि प्रार्थी के समक्ष जिन कर्मकारों को/कर्मचारियों को शरियर लाभ दिया गया है तथा प्रार्थी को उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया है सम्बन्ध में आदेश किस अधिकारी द्वारा पारित किया गया है उसका नाम पदनाम व आदेश की छाया प्रतिलिपि प्रदान की जावे।

नोट:- सूचना प्राप्त करने हेतु पर्याप्त शुल्क वर्तमान प्रार्थना पत्र के साथ समर्पित किया जा रहा है। I.P.O No 57F 21/708

दिनांक 7-12-2022
देहरादून।

प्रार्थी
श्री बीरेन्द्र कुमार
पुत्र स्व. श्री रंगी लाल

निवासी वन्य प्राणी संस्थान
रोड, चन्द्रखनी, निम्न सौनी फोटोस्टेट